

भारत सरकार Bharat Sarkar
रेल मंत्रालय Rail Mantralaya
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

सं. No. 2011-B-108

नई दिल्ली, दिनांक New Delhi, dated 14.8.2019

महाप्रबंधक,

मध्य, पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमा, दक्षिण, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व, पश्चिम, पूर्व मध्य पूर्व तट, उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व मध्य, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य व मेट्रो रेलों
The General Managers,
Central, Eastern, Northern, North Eastern, Northeast Frontier, Southern, South Central, South Eastern, Western, East Central, East Coast, North Central, North Western, South East Central, South Western, West Central and Metro Railways.

विषय - 2019-20 के दौरान सामान्य प्रयोजन भंडार हेतु अग्रिम आवंटन
Sub : Advance Allotment for General Purpose Stores during 2019-20.

2019-20 के दौरान सामान्य प्रयोजन भंडारों के लिए वचनबद्धताओं को पूरा करने और 2020-21 में अथवा तदनंतर ऐसे भंडारों की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित राशि के अग्रिम आवंटन हेतु स्वीकृति एतद्वारा संसूचित की जाती है।

Sanction is hereby communicated to the advance allotment of the following sums for entering into commitment for General Purposes Stores during 2019-20 for deliveries in 2020-21 or thereafter: -

(आंकड़े हजार रुपयों में / Figures in thousands of rupees)

रेलवे / Railway	राशि / Amount
मध्य / Central	4599940
पूर्व / Eastern	6388782
उत्तर / Northern	6050225
पूर्वोत्तर / North Eastern	1956298
पूर्वोत्तर सीमा / Northeast Frontier	2195135
दक्षिण / Southern	5055396
दक्षिण मध्य / South Central	4480623
दक्षिण पूर्व / South Eastern	4329478
पश्चिम / Western	3471698
पूर्व मध्य / East Central	1605650
पूर्व तट / East Coast	1782876
उत्तर मध्य / North Central	2897260
उत्तर पश्चिम / North Western	2614067
दक्षिण पूर्व मध्य / South East Central	1890938
दक्षिण पश्चिम / South Western	2297408
पश्चिम मध्य / West Central	3412887
मेट्रो रेलवे कोलकाता / Metro Railway Kolkata	72616

2. 2019-20 के दौरान कोयला, कोक व ईंधन तेलों के लिए वचनबद्धताओं हेतु और ऐसे भंडारों की 2020-21 में अथवा तदनंतर सुपुर्दगी हेतु निम्नलिखित अग्रिम आवंटन के लिए भी स्वीकृत संसूचित की जाती है।

Sanction is also being communicated for the following advance allotment for entering into commitments for Coal, Coke & Fuel Oil during 2019-20 for delivery of such stores in 2020-21 or thereafter.

(आंकड़े हजार रुपयों में / Figures in thousands of rupees)

रेलवे / Railway	राशि / Amount
मध्य / Central	2229545
पूर्व / Eastern	1159850
उत्तर / Northern	7457057
पूर्वोत्तर / North Eastern	2566649
पूर्वोत्तर सीमा / Northeast Frontier	2382053
दक्षिण / Southern	1472472
दक्षिण मध्य / South Central	2837390
दक्षिण पूर्व / South Eastern	415688
पश्चिम / Western	2101589
पूर्व मध्य / East Central	1774028
पूर्व तट / East Coast	1622879
उत्तर मध्य / North Central	794816
उत्तर पश्चिम / North Western	3468943
दक्षिण पूर्व मध्य / South East Central	595940
दक्षिण पश्चिम / South Western	2015841
पश्चिम मध्य / West Central	1378825
मेट्रो रेलवे कोलकाता / Metro Railway Kolkata	0

3. रेलवे बोर्ड चाहता है कि वर्तमान में खरीद करते समय निधियों के अग्रिम आवंटन में से की गई वचनबद्धताओं को ध्यान में रखा जाए ताकि वर्ष के दौरान होने वाली कुल खरीद 2020-21 के बजट आवंटन, जोकि समुचित समय पर उपलब्ध कराया जाएगा, से अधिक न हो।


Railway Board desire that commitments made out of the advance allotment of funds should be kept in view while making purchases currently so that the total purchases materialising during the year do not exceed the Budget allotment for 2020-21 which will be made at appropriate stage.

4. यह सुनिश्चित किया जाए कि निविदाओं का प्रमाणन स्वीकृत आवंटन से अधिक न हो।

It should be ensured that the indents are not certified in excess of the allotment sanctioned.

5. रेलों यह नोट करें कि बोर्ड के पत्र सं.82/आरएस(आईसी)/165/7 दिनांक 24.6.1985 के अंतर्गत यह दोहराया गया था कि विभिन्न राजस्व एब्स्ट्रेक्ट को डेबिट-योग्य सीधी सुपुर्दगी भंडारों के विषय में निधियों का प्रमाणन सामान्य प्रयोजन भंडारों हेतु अग्रिम आवंटन के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत ही किया जाए और ऐसी नॉन-स्टॉक मर्चों का प्रमाणन पिछले वर्ष सामान्य प्रयोजन भंडारों (कोयला, कोक व ग्रेन-शॉप भंडारों को छोड़कर) की वास्तविक खरीद के 5% से अधिक न हो और किसी राशि के प्रमाणन से पूर्व ऐसी मर्चों को पी.एल. नंबर देना आवश्यक होगा।

Railways should note that vide Board's letter No.82/RS(IC)/165/7 of 24.6.1985, it was reiterated that certification of funds in respect of direct delivery stores debitible to various Revenue abstracts should be within the stipulated ceiling limit for advance allotment of General Purposes Stores and the certification of such non-stock items should not exceed 5% of actual purchases of General Purposes stores (excluding coal, fuel and grain shop stores) of the preceding year and it will be mandatory to give P.L. Nos. to such items before certifying any amount.



(अभिषेक कुमार Abhishek Kumar)
निदे.वित्त (बजट) Dir.Fin.(Budget)

सं.No.2011-B-108

नई दिल्ली, दिनांक New Delhi, dated 14.8.2019

प्रतिलिपि प्रेषित / Copy forwarded to:-

1. प्रधान निदेशक, सभी भारतीय रेलें / The Pr. Directors of Audit, All Indian Railways.
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें / The PFAs, All Indian Railways.
3. भंडार नियंत्रक, सभी भारतीय रेलें / The Controllers of Stores, All Indian Railways.
4. रेलवे संपर्क अधिकारी, जीवन तारा बिल्डिंग, नई दिल्ली-सूचनार्थ / The RLO, Jeevan Tara Building, New Delhi - for information


(अभिषेक कुमार Abhishek Kumar)
निदे.वित्त (बजट) Dir.Fin.(Budget)

प्रतिलिपि / Copy to: निदे.रेल भंडार(आईसी) व आरएस(आईसी) शाखा, रेलवे बोर्ड / DRS(IC) & RS(IC) Br, Railway Board.